कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3/पीजी–2024/1403 लखनऊःदिनांक 16 जुलाई,2024

यू0पी0 नीट–एम0डी0एस0 2024 की प्रथम चक की ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु च्वाईस फिलिंग एवं प्रवेश प्रकिया के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

- अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज की सीटो पर आवंटन हेतु अपनी वरीयता के आधार पर ऑनलाइन च्वाईस भरी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- **ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी सीट आवंटन प्रकिया से स्वतः बाहर जो जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।**
- राजकीय क्षेत्र की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया संबंधित विश्वविद्यालय स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेजों की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया नामित नोडल सेन्टरों पर सम्पन्न करायी जायेगी। नोडल सेन्टरों की सूची विभागीय वेबसाइट ***https://upneet.gov.in*** *एवं* ***www.dgme.up.gov.in*** पर उपलब्ध है।
- आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु राजकीय डेण्टल कालेज/संबंधित नोडल सेन्टर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।
- आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को अपने समस्त शैक्षणिक/आरक्षण सम्बन्धी एवं अन्य प्रमाण पत्र आवंटित राजकीय डेण्टल कालेज/संबंधित नोडल सेन्टर पर प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (Director General Medical Education & Training U.P payabe at Lucknow)** के पक्ष में निर्गत हो, संबंधित नोडल सेन्टर पर जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं का फी–स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट ***https://upneet.gov.in*** *एवं www.dgme.up.gov.in* पर उपलब्ध है।
- निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क से कम शुल्क लिये जाने हेतु स्वतंत्र है, किन्तु निर्धारित शिक्षण शुल्क से कम शुल्क लिये जाने के संबंध मे डेण्टल कालेज के प्रतिनिधि द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के संबंध में उक्त आशय का अण्डरटेंकिग संबंधित नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2024 के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- दिव्यांगजनो के दिव्यांगता प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रो से निर्गत एंव निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगें।

- ❖ आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगें।
- ❖ भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण–पत्र मान्य नही होगा।

कृते महानिदेशक

संख्या– एस0ई0–3/सीजी–2024/ तद्दिनांक